14540

पत्रांक–3प / मु.मं.नि.यो.–19–57 / 2019 / ..... / पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

डॉ० आदित्य प्रकाश, भा०प्र०से०
अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक–13/10/2026

विषयः– कार्यपालक सहायक / डाटा इंट्री ऑपरेटर का स्थानांतरण नहीं किये जाने तथा अन्यत्र कार्यालयों में की गई प्रतिनियुक्ति को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–11674, दिनांक–11.08.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से राज्य के सभी ग्राम पंचायत कार्यालयों में अधिष्ठापित आर.टी.पी.एस. केन्द्रों पर कार्यरत कार्यपालक सहायकों की प्रतिनियुक्ति ग्राम पंचायत से अन्यत्र नहीं किये जाने का निदेश संसूचित है।

विदित हो कि लोक सेवा प्रदायगी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम (RTPS) के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं को ग्राम पंचायत कार्यालयों में अधिष्ठापित आर.टी.पी.एस. केन्द्र के माध्यम से अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना है। इन आर.टी.पी.एस. केन्द्रों के संचालन एवं ग्राम पंचायत स्तर के आई. टी. से संबंधित सभी कार्य यथा–ई–ग्राम कचहरी, ई–ग्राम स्वराज, ई–पंचायत पोर्टल, निश्चय सॉफ्ट पोर्टल आदि से संबंधित कार्यों के निष्पादन हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यपालक सहायक को नियोजित किया गया है।

उक्त निदेश के बावजूद जिला स्तर से कार्यपालक सहायक / डाटा इंट्री ऑपरेटर का स्थानांतरण एवं प्रतिनियुक्ति किये जाने की सूचना विभाग को निरंतर प्राप्त हो रही है। कार्यपालक सहायक के स्थानांतरण एवं अन्यत्र प्रतिनियुक्ति से उक्त कार्यकलापों एवं विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न हो रही है।

उल्लेखनीय है कि कार्यपालक सहायक के मानदेय का भुगतान ग्राम पंचायत कार्यालय में उनकी उपस्थिति के आधार पर प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी को प्रेषित उपस्थिति विवरणी के आधार पर किया जाना है।

लगातार.....

अतएव विभागीय योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन के दृष्टिपथ निदेशित किया जाता है कि विभागीय अनुमति के बिना कार्यपालक सहायक/डाटा इंट्री ऑपरेटर का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। साथ ही, जिला स्तर से कार्यपालक सहायकों/डाटा इंट्री ऑपरेटरों की अन्यत्र कार्यालयों में की गई प्रतिनियुक्ति को भी तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। सभी कार्यपालक सहायक/डाटा इंट्री ऑपरेटर का मानदेय भुगतान उनके पदस्थापन स्थल यथा–प्रखंड/ग्राम पंचायत कार्यालय में बायोमैट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही किया जाएगा।

प्रस्ताव एवं प्रारूप पर समक्ष प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

Aditya Prakash 9/10/2026

(डॉ० आदित्य प्रकाश)
अपर सचिव

ज्ञापांकः–3प/मु.मं.नि.यो.–19–57/2019/1454/पं०रा० पटना,दिनांक–13/10/2026

प्रतिलिपिः–सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, बिहार/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार/सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Aditya Prakash 9/10/2026

(डॉ० आदित्य प्रकाश)
अपर सचिव

ज्ञापांकः–3प/मु.मं.नि.यो.–19–57/2019/14540/पं०रा० पटना,दिनांक–13/10/2026

प्रतिलिपिः–आई०टी० प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Aditya Prakash 9/10/2026

(डॉ० आदित्य प्रकाश)
अपर सचिव